न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 785/2022

अनवान : —

1. राजेश कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

वादी

बनाम्

1. इन्द्राज पुत्र ज्ञानीराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88—89 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 2|2|23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 7 आरपीएम तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2076—2079 के खाता सं0 112/2 की कुल 0.8610हैक्ट भूमि व रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2070—2073 के खाता स0 16/15 की कुल 8.1440 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 इन्द्राज के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 इन्द्राज के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है। वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति—रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए पारिवारिक समझौते अनुसार रोही मौजा 7 आरपीएएम तहसील नोहर के खाता स0 112/2 की वाद भूमि प्रतिवादी ने वादी को दे दी व रोही मौजा भूकरका के खाता स0 16/15 की वाद भूमि प्रतिवादी स्वयं ने अपने नाम रख ली । प्रतिवादी सं0 1 ने अन्य कृषि भूमि में अपना हिस्सा स्वीकार किया था इस प्रकार वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को काफी मर्तबा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद [illegible] गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible]कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 जरिये अधिवक्ता दावा [illegible] सभी मद संख्याओं [illegible]स्वीकार करते हुए

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:31:48 IST
Reason: SelfAttested

अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 2 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई एतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादी के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है है जिसमें वादी व प्रतिवादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी को घरेलु जरूरतों के हिसाब से केसीसी आदि की आवश्यकता रहती है जिसके लिए अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाने चाहते है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए पारिवारिक समझौते अनुसार रोही मौजा 7 आरपीएएम के खाता स0 112/2 की वाद भूमि प्रतिवादीगण ने वादी को दे दी व रोही मौजा भूकरका के खाता स0 16/15 की वाद भूमि प्रतिवादी स्वयं ने अपने नाम रख ली। वादी के वाद को प्रतिवादीस0 1 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा 7 आरपीएम तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2076–2079 के खाता सं0 112/2 की कुल 0.8610हैक्ट भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत पंचायत समिति नोहर द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 इन्द्राज के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम उपरोक्त वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि स्थित है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का एतराज नही होने व वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता सं0 112/2 की कुल 0.8610हैक्ट भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम [illegible] रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 इन्द्राज का नाम कलमजन किया जाकर [illegible] खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:31:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/2/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:31:48 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 785/2022

अनवान : –

1. राजेश कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

वादी

बनाम्

1. इन्द्राज पुत्र ज्ञानीराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री भरतसिंह बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 आरपीएम तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2076–2079 के खाता सं0 112/2 की कुल 0.8610हैक्ट भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 इन्द्राज का नाम कलमजन किया जाकर वादी राजेश कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामज कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/2/23..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:31:48 IST
Reason: SelfAttested